

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936

No. 357]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2014

(सं. फेमा 314/आरबी-2014)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण

अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 489(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) (जिसे इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 6 में संशोधन

ए. उप-विनियम (2) में, मौजूदा खंड (iv) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(iv) भारतीय पार्टी ने, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म ओडीआई के भाग III में दिए गए फार्मेट में, अपने सभी समुद्रपारीय निवेशों के संबंध में वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।"

बी. उप-विनियम (2) में, मौजूदा खंड (vi) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(vi) भारतीय पार्टी, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म ओडीआई के भाग I को विधिवत पूरा करके प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा को प्रस्तुत करती है।"

सी. उप-विनियम (5) में, मौजूदा खंड (बी) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(बी) भारतीय पार्टी प्रस्तावित निवेशों के पूरे ब्योरे, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म ओडीआई के भाग I और II में नामित प्राधिकृत व्यापारी के पास फाइल करती है।"

3. विनियम 9 में संशोधन

ए. मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(2) भारत से बाहर किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में, अथवा किसी विदेशी कंपनी के शेयरों के विनियम के मार्फत किए जाने वाले प्रत्यक्ष निवेशों से संबंधित आवेदन, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग I में किए जाएंगे।"

बी. मौजूदा उप-विनियम (2ए) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(2ए) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई में उप-विनियम (2) के अंतर्गत किया गया कोई आवेदन पत्र।"

(ए) भारत से बाहर की किसी वर्तमान कंपनी में भारत से विप्रेषण द्वारा निवेश करने के प्रयोजन हेतु भारत से बाहर की संबंधित कंपनी के शेयरों के निम्नवत हुए मूल्य निर्धारण को संलग्न किया जाएगा—

(i) जहां निवेश 5 (पांच) मिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो, वहां शेयरों का मूल्य निर्धारण सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी-I मर्चेट बैंकर अथवा मेजबान देश के उचित विनियामक प्राधिकारी के पास पंजीकृत निवेश बैंकर/मर्चेट बैंकर द्वारा किया जाएगा; और

(ii) सभी अन्य मामलों में किसी सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जाएगा।

(बी) भारत से बाहर की वर्तमान कंपनी के शेयरों के अर्जन के मार्फत निवेश के प्रयोजन हेतु जहां भारतीय पार्टी के लिए शेयर पूर्णतः अथवा अंशतः प्रतिफल राशि की प्राप्ति पर जारी किए होंगे, वहां शेयरों का मूल्य निर्धारण सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी-I मर्चेट बैंकर अथवा मेजबान देश के उचित विनियामक प्राधिकारी के पास पंजीकृत निवेश बैंकर/ मर्चेट बैंकर द्वारा किया जाएगा।

4. विनियम 14 में संशोधन

ए. मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(2) भारतीय पार्टी द्वारा नीलामी में सफल बोली लगाने पर—

- (i) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी कंपनी के अर्जन (acquisition) के लिए और विप्रेषण की अनुमति, विनियम 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा, के अंतर्गत दे सकते हैं; और
- (ii) भारतीय पार्टी अंतिम विप्रेषण करने से 30 दिनों के भीतर, अपने संबंधित नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग I और II में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

बी. मौजूदा उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(3) भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी, जो उप-विनियम (1) में नहीं आती है, के अर्जन हेतु उसकी नीलामी अथवा टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म ओडीआई में आवेदन किए जाने पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, बयाना जमा राशि के लिए विदेशी मुद्रा के विप्रेषण अथवा नीलामी हेतु भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी को बांड गारंटी जारी करने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा दी जा सकती है।"

सी. उप-विनियम (4) में, मौजूदा खंड (ए) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ए) भाग I में उल्लिखित विनियमों के उपबंधों के अनुरूप न होने, अथवा उप-विनियम (3) के अंतर्गत लिए गए अनुमोदन से भिन्न होने पर, भारतीय पार्टी विनियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई में रिज़र्व बैंक को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी, अथवा"

5. विनियम 15 में संशोधन

मौजूदा उप-विनियम (iii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(iii) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग III में भारत से बाहर के प्रत्येक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व या तक और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य रिपोर्टें अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी। जब तक कि रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से छूट न दी हो, अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के विगत वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित होनी चाहिए।"

6. विनियम 19 में संशोधन

मौजूदा विनियम 19 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"19. भारत में किसी मालिकाना प्रतिष्ठान द्वारा शेयरों के स्वीकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करना

भारत का कोई मालिकाना प्रतिष्ठान अपनी कंपनी द्वारा दी गई पेशेवर सेवाओं के लिए प्राप्य फीस के बदले भारत से बाहर की कंपनी से शेयर स्वीकार करने के लिए, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म ओडीआई के भाग I में अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है।

बशर्ते कि

(ए) भारत से बाहर की प्रत्येक कंपनी से स्वीकार किए गए शेयरों का मूल्य भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त की जाने वाली फीस के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और

(बी) उल्लेखानुसार, भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा भारत से बाहर की किसी भी कंपनी की स्वीकार की गई शेयरधारिता, उक्त कंपनी के स्वीकार किए गए शेयरों के कारण भारत से बाहर की संबंधित कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

7. अनुसूची V में संशोधन

अनुसूची V में, पैरा "डी" में,—

ए. पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) इस अनुसूची के उपबंधों के तहत किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग I में विधिवत भर कर, विप्रेषण करने से 30 दिनों के भीतर, नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।"

बी. पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(2) किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश, विप्रेषण किए जाने से 30 दिनों के भीतर, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग I और II में नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाएंगे।"

सी. पैरा (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए विनिवेश, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, फार्म ओडीआई के भाग IV में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विनिवेश की आगम राशि की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाएंगे।"

[फा सं. 1/26/ईएम/2014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर, 2004 के सा.का.नि. सं. 757(अ) द्वारा प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

सा.का.नि. सं. 220(अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005,

सा.का.नि. सं. 337(अ) दिनांक मई 27, 2005,

सा.का.नि. सं. 552(अ) दिनांक अगस्त 31, 2005,

सा.का.नि. सं. 535(अ) दिनांक सितंबर 6, 2006,

सा.का.नि. सं. 13(अ) दिनांक जनवरी 5, 2008,

सा.का.नि. सं. 209(अ) दिनांक मार्च 25, 2008,

सा.का.नि. सं. 676(अ) दिनांक सितंबर 24, 2008,

सा.का.नि. सं. 756(अ) दिनांक अक्तूबर 31, 2008,
 सा.का.नि. सं. 108(अ) दिनांक फरवरी 20, 2009,
 सा.का.नि. सं. 301(अ) दिनांक मई 1, 2009,
 सा.का.नि. सं. 441(अ) दिनांक जून 23, 2009,
 सा.का.नि. सं. 609(अ) दिनांक अगस्त 28, 2009,
 सा.का.नि. सं. 607(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012,
 सा.का.नि. सं. 609(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012,
 सा.का.नि. सं. 947(अ) दिनांक दिसंबर 31, 2012,
 सा.का.नि. सं. 345(अ) दिनांक मई 29, 2013,
 सा.का.नि. सं. 516(अ) दिनांक जुलाई 30, 2013,
 सा.का.नि. सं. 529(अ) दिनांक अगस्त 05, 2013,
 सा.का.नि. सं. 552(अ) दिनांक अगस्त 14, 2013 और
 सा.का.नि. सं. 323(अ) दिनांक मई 07, 2014.

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2014

(No. FEMA 314/RB-2014)

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely :—

1. **Short Title and Commencement:**—(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 6

A. In sub-regulation (2), the existing clause (iv) shall be substituted with the following, namely:

“(iv) The Indian Party has submitted Annual Performance Report in respect of all its overseas investments in the format given in Part III of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time.”

B. In sub-regulation (2), the existing clause (vi) shall be substituted with the following, namely:

“(vi) The Indian Party submits duly completed Part I of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, to the designated branch of an authorised dealer.”

- C. In sub-regulation (5), the existing clause (b) shall be substituted with the following, namely:
- “(b) The Indian Party files with the designated authorised dealer in Parts I and II of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, full details of the investment proposed.”

3. Amendment to Regulation 9

- A. The existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely:
- “(2) Application for direct investment in Joint Venture / Wholly Owned Subsidiary outside India, or by way of exchange for shares of a foreign company, shall be made in Part I of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time.”
- B. The existing sub-regulation (2A) shall be substituted with the following, namely:
- “(2A) An application made under sub-regulation (2) in Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time
- (a) for the purpose of investment by way of remittance from India, in an existing company outside India, shall be accompanied, by the valuation of shares of the company outside India, made-
- (i) where the investment is more than USD 5 (five) million, by a Category I Merchant Banker registered with SEBI or an Investment Banker / Merchant Banker registered with the appropriate regulatory authority in the host country; and
- (ii) in all other cases, by a Chartered Accountant or a Certified Public Accountant.
- (b) for the purposes of investment by acquisition of shares of an existing company outside India where the consideration is to be paid fully or partly by issue of the Indian party's shares, shall be accompanied by the valuation carried out by a Category I Merchant Banker registered with the SEBI or an Investment Banker / Merchant Banker registered with the appropriate regulatory authority in the host country.

4. Amendment to Regulation 14

- A. The existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely:
- “(2) On the Indian party winning the bid,
- (i) the authorised dealer may allow further remittances towards acquisition of the foreign company, subject to the ceilings specified in Regulation 6; and
- (ii) The Indian Party shall submit, through the designated authorised dealer concerned, a report to the Reserve Bank in Parts I and II of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, within 30 days of effecting the final remittance.”
- B. The existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely:
- “(3) For participation in bidding or tender procedure for acquisition of a company incorporated outside India which does not fall within the provisions of sub-regulation (1), the Reserve Bank may, on application in Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, allow remittance of foreign exchange towards earnest money deposit or permit the authorised dealer in India to issue a bid bond guarantee, subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may stipulate.”
- C. In sub-regulation (4), the existing clause (a) shall be substituted with the following, namely:
- “(a) not in conformity with the provisions of Regulations in Part I, or different from those for which approval under sub-regulation (3) was obtained, the Indian Party shall submit application in Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, to Reserve Bank for obtaining approval for the foreign direct investment in the manner specified in Regulation 9, or”

5. Amendment to Regulation 15

- The existing sub-regulation (iii) shall be substituted with the following, namely:

“(iii) submit to the Reserve Bank, through the designated Authorised Dealer, every year on or before a specified date, an Annual Performance Report (APR) in Part III of Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, in respect of each JV or WOS outside India, and other reports or documents as may be prescribed by the Reserve Bank from time to time. The APR, so required to be submitted, has to be based on the audited annual accounts of the JV / WOS for the preceding year, unless specifically exempted by the Reserve Bank.”

6. Amendment to Regulation 19

The existing Regulation 19 shall be substituted with the following, namely:

“19. Prior Permission of the Reserve Bank for a Proprietary Concern in India to accept shares

A proprietary concern in India may apply to the Reserve Bank through the authorised dealer in Part I of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, for permission to accept shares of a company outside India in lieu of fees due to it for professional services rendered to the said company.

Provided that

- (a) the value of the shares accepted from each company outside India shall not exceed fifty per cent of the fees receivable by the Indian concern from that company and
- (b) the Indian concern's shareholding in any one company outside India by virtue of shares accepted as aforesaid shall not exceed ten per cent of the paid-up capital of the company outside India, whose shares are accepted.”

7. Amendment to Schedule V

In Schedule V, in para ‘D’,

- A. for the para (1), the following shall be substituted, namely:
“(1) The resident individual, making overseas direct investments under the provisions of this Schedule, submits duly completed Part I of the Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, to the designated authorised dealer, within 30 days of making the remittance.”
- B. for the para (2), the following shall be substituted, namely:
“(2) The investment, as made by a resident individual, shall be reported by the designated authorised dealer to the Reserve Bank in Form ODI Part I and II, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, within 30 days of making the remittance.”
- C. for the para (4), the following shall be substituted, namely:
“(4) The disinvestment by the resident individual may be reported by the designated AD to the Reserve Bank in Part IV of Form ODI, as prescribed by the Reserve Bank from time to time, within 30 days of receipt of disinvestment proceeds.”

[F. No. 1/26/EM/2014]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI *vide* G.S.R. No 757(E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :—

G.S.R. No. 220(E) dated April 7, 2005,
G.S.R. No. 337(E) dated May 27, 2005,
G.S.R. No. 552(E) dated August 31, 2005,
G.S.R. No. 535(E) dated September 6, 2006,
G.S.R. No.13(E) dated January 5, 2008,
G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,
G.S.R. No.676(E) dated September 24, 2008,
G.S.R. No.756(E) dated October 31, 2008,
G.S.R. No.108(E) dated February 20, 2009,
G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,
G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,
G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012,
G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013,
G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013,
G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013,
G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013 and
G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014.